न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय, अमरोहा
पीठासीन अधिकारी– स्वपन दीप सिंघल, (एच0जे0एस0) (JO CODE- UP2717)
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 2258/2022
CNR No.- UPJB010060542022
साजिद पुत्र शौकीन उर्फ मंगला निवासी ग्राम शकरगढी थाना रहरा जिला अमरोहा।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

.....अभियोजक।

मु0अ0सं0– 286/2022
धारा– 3(1) गैगस्टर एक्ट
थाना– रहरा
जिला– अमरोहा

दिनांक 14.10.2022:– यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त **साजिद** की ओर से मु0अ0सं0 286/2022, धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट, थाना रहरा, जिला अमरोहा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अशोक कुमार वर्मा तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना रहरा द्वारा दिनांक 01.10.2022 को समय 18:10 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी गयी कि गैंग लीडर इकराम पुत्र तहसीन ने एक संगठित गिरोह बना रखा है, जो अपने साथ सदस्य साजिद पुत्र शौकीन उर्फ मंगला, नन्हें पुत्र मेहरबान, रिफाकत पुत्र जमशेद, शमशाद पुत्र अनवार के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर अपने क्षेत्र व आस पास के क्षेत्र के व्यक्तियों के गौवंशीय पशुओं का वध करे उनका मांस विक्रय कर अवैध रूप से धनोपार्जन कर अपने एवं अपने परिवार के लिए आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से समाज विरोधी किया कलाप में संलिप्त है। इनके आपराधिक कृत्यों से जनता में भय व आतंक व्याप्त है। यह इतने शातिर किस्म के अपराधी है कि इनके विरूद्ध जनता का कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट लिखाने अथवा गवाही देने का साहस नहीं करता है। इनका स्वतन्त्र रहना जनहित में उचित नहीं है। इनके विरूद्ध पूर्व में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 127/2021 धारा 3/5ए/8 सी0एस0 एक्ट पंजीकृत है। अभियुक्तगण का संगठित गिरोह पाये जाने पर उपरोक्त गैंग लीडर व उसके सदस्यों के विरूद्ध जिलाधिकारी से गैंगचार्ट अनुमोदन शुदा प्राप्त है, जिसके वाक्यात सही पाये गये।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को रंजिशन झूंठा फसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। घटना का कोई जनसाक्षी नहीं है। प्रार्थी किसी गैंग का सदस्य या लीडर नहीं है और ना ही प्रार्थी का कोई भय व आतंक है। प्रार्थी ने स्वयं न्यायालय में आत्म समर्पण किया है। प्रार्थी के विरूद्ध किसी व्यक्ति ने कोई शिकायती प्रार्थना पत्र नहीं दिया है और न ही प्रार्थी की आपराधिक पृष्ठ भूमि है। प्रार्थी के विरूद्ध गैंगचार्ट में जो मुकदमा दर्शित किया गया हैं, उसमें उसकी जमानत स्वीकृत हो चुकी है। प्रार्थी दिनांक 11.10.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है, इन्ही आधारों पर जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा गौवंशीय पशुओं का वध कर उनका मांस विक्रय करके अवैध धन अर्जित किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है, इन्ही

Digitally signed by SWAPAN DEEP SINGHAL
Date: 2022.10.14 16:29:05 CLST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आधारों पर जमानत प्रर्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गये तथा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त पर गौवंशीय पशुओं का वध कर उनका मांस विक्रय करके अवैध धन अर्जित करने का आरोप आरोप लगाया है। गैंग चार्ट के अनुसार इस अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 127/2021 धारा 3/5ए/8 सी0एस0 एक्ट पंजीकृत होना दर्शाया गया हैं जबकि थाने से प्राप्त आख्या में आपराधिक इतिहास के अनुसार इस अभियुक्त के विरूद्ध गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमा ही पंजीकृत होना दर्शाया गया है। जिसमें अभियुक्त की जमानत दिनांक 19.07.2021 को स्वीकृत हो चुकी है, जिसके सम्बन्ध में जमानत आदेश संलग्न है। इस मुकदमे के अतिरिक्त अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास अभियोजन द्वारा नहीं बताया गया है। अभियुक्त द्वारा स्वयं न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण किया गया है। अभियुक्त दिनांक 11.10.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बगैर मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **दाताराम सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य (2018) 3एस.सी. सी. 22** में पारित दिशा निर्देशों के प्रकाश में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोडे जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **साजिद** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मुवलिग एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो जमानती तथा निम्नलिखित आशय की अन्डर टेकिंग प्रस्तुत करने पर न्यायालय की सन्तुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जायेः—

1. प्रार्थी/अभियुक्त उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

2. दौरान जमानत साक्षीगण को किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया जायेगा।

3. विचारण प्रारम्भ होने पर प्रार्थी/अभियुक्त आरोप एवं धारा 313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु नियत दिनांक एवं न्यायालय द्वारा निर्देशित अन्य तिथियों पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

4. प्रार्थी/अभियुक्त वाद में साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

यह कि उक्त शर्तों का प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसकी जमानत विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निरस्त की जा सकेगी।

दिनांकः 14.10.2022

(स्वपनदीप सिंघल)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय,
अमरोहा

<u>टाईपकर्ताः— सहदेव सिंह, आशुलिपिक</u>